

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./जी.एस.
दिनांक 17.11. 2008

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

महोदय,

आपके पत्र संख्या-६६१०/सम्बद्धता/२००४ दिनांक २१.१०.२००४ मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के प्रावधानों के अधीन चन्द्रकांती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में ललित कला एवं राजनीतिशास्त्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

- १ संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०१८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद
४. प्राचार्य चन्द्रकांती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्राचार्य

चन्द्रकांती रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कॉलेज, गोरखपुर

U.G. Permanent Affiliation Letter in Fine Art, Political Science and P.G. Permanent Affiliation Letter in Education and Political Science

(Translation Copy)

Governor Secretariats Uttar Pradesh
Lucknow-227132

No-E.S/5898/G.S.

Dated-17/11/2004

From,

Vishesh Sachiv
His Excellency & Honorable Governor, Chancellor,
Uttar Pradesh,

To,

Kulhachev (Registrar)
Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University,
Gorakhpur

Sir,

With reference to your letter No 9610/Affiliation/Dated 21/10/2004 , I have been directed to inform you that His Excellency Honorable Chancellor, in accordance with section 37 (2) of Uttar Pradesh state university Act 1973 is pleased to grant sanction of affiliation since 01- 07-2004 in connection with subjects Fine Arts and political Science (Graduate Standard) Art (Faculty) and Education and Political Science (Post Graduate standard) is the Art Faculty Under the Scheme of Self-Financed in favour of C.R.D Arya Mahila PG College, Gorakhpur under following terms and conditions:-

1. The institution will follow the instructions and Govt. orders issued from time to time by the higher education Department G.O. No. 2851/Seventy-2-2003-16(92)/2003 dated 2 July, 2003.

2 If the institution does not assure perfection and continuity in accordance with rules of the University and terms and condition's of the Govt. and University then necessary steps will be taken regarding the rejection of the affiliation given to the institution under section Uttar Pradesh State University Act 1972

Yours

(Rakesh Kumar Ojha)
(Special) Vishesh Sachiv of the Chancellor

Copy forwarded to the following for information and necessary actions

- 1 Secretary, Higher Education Service Commission UP, 18-A, Nyay Marg, Allahabad.
2. Chief Secretary, UP Govt, Higher Education Lucknow
3. Director, higher Education, Directorate of Higher Education Allahabad
- 4 Principal, CRD Arya Mahila College, GKP

(Rakesh Kumar Ojha)
(Special) Vishesh Sachiv of the Chancellor

प्राचार्य
श्रीमती रमावती देवी आर्य महिला
पी० जे० कालेज, गोरखपुर